

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

Ho 296]

मई बिल्लो, बुधवार, जुलाई 23, 1986/धावण 1, 1908

No. 296]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 23, 1986/SRAVANA 1, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था दो बाती हैं जिससे कि यह असम संकलन के रूप में रखा बा सकें

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विवेश मंत्रालय

पधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जूलाई, 1986

का आ 435(प) — केन्द्रीत सरकार, राज्यक्षेत्रीय सागर-खण्ड, महा-क्षोपीय मनतट भूमि, बनन्य भाषिक क्षेत्र और अन्य सामृद्रिक क्षेत्र अधि-नियम, 1976 (1976 का 80)की धारा 6 की उपधारा (6)के खंड(ख) के उपखंड (ii) और धारा 7 की उपधारा (6) के खंड(ख)के उपखंड (iii) के अनुसरण में, भारत सरकार के विदेश कार्य मेंनालय की अधिसूचना सं. का आ 429(भ) तारीख 18-7-1986 के अर्थन बोधित धमिहीत खेलों के भीतर किसी पीत के, सिवाय भारतीय निर्मेशन पोतों और तट रक्षक पोतों या ऐसे बन्य पोतों जिन्हें भारत सरकार में पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मेंनालय के सिवाय धा उसके द्वारा इस गिमित्त अधिमूचित किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा निखित में प्राधिकृत किया जाता है, प्रवेश का प्रतिषेध करती है।

- १८८ में अन्तिबन्ध प्रतिबंध निम्नलिखित पोतों को लागू नहीं होगा, प्रथति :--
- (क) उक्त श्रमिहित क्षेत्र में या उसके निकट किसी उप समुद्री केबिल या पाइप-लाइन की सरस्मत में लगे हुए या लोगाए जाने के लिए श्रासन्त पीत:

- (ख) उक्त अभिद्वित क्षेत्रों में किसी प्रतिष्टापन
 - (i) की सेवा के लिए,
 - (ii) के किसी सरकारी विभाग के प्राधिकार के **प्रधीन निरोक्षण** के लिए, या
 - (iii) तक या से व्यक्तियों या माल के परिवहन में लगा हुआ। पोत ;
- (ग) परिवहन मंत्रालय के प्राधिकार के प्रधीन नौवहन की सुरक्षा से संबंधित कर्तव्यों में लगा हुआ पीत,
- (घ) समृह में जीवन या सम्पति को बचाने या बचाने का प्रधास करने की दृष्टि से कार्च कर रहा पीत ।

[संहया एफ.एन.-III/3/86] पी. श्रीनिवासराव, निदेशक

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 1986

- S.O. 435 (E) —In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (5) of section 6 and sub-clause (iii) of clause (b) of sub-section (6) of section 7 of the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zones Act. 1976 (80 of 1976), the Central Government hereby prohibits the entry of any ship within the designated areas as declared under the notification of the Government of India in the Ministry of External Affairs No. S. O. 429 (E) dated the 18-7-1986, except Indian Naval ships and Coast Guard ships of other ships which are authorised in writing by the Secretary to the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas or any competent authority notified by him in this regard.
- 2. The prohibition contained in paragraph 1 shall not apply to a ship—
 - (a) engaged or about to be engaged in the repair of any submarine cable or pipeline in or adjacent to the said designated areas;

- (b) engaged in-
 - (i) services for,
 - (ii) inspection under the authority of a Government Department of, or
- (iii) the transportation of persons or goods to or from.

an installation in the said designated areas;

- (c) engaged in duties relating to the safety of navigation under the authority of the Ministry of Transport;
- (d) carrying out movements with a view to saving or attempting to save life or property at sea.

[No. F. L-III|3|86] P. SREENIVASA RAO, Director